भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

54

समक्ष अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल म.प्र.

PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा/2018/0834 अपील प्रकरण क. .... / 018

हजारीलाल आ0 स्व0 हल्कू, आयु वयस्क,

निवासी–ग्राम बड़वाई, तहसील गौहरगंज

जिला रायसेन म.प्र. ---- निगरानीकर्ता

67

विरूद्ध

अभिभाषक श्री ...के.डी. तिवारी... द्वारा आज दिनांक ...18/1/2018... को पेश। अधीक्षक 18.1.18

भंवरलाल आ0 रामप्रसाद, आयु वयस्क

निवासी– ग्राम बड़वाई, तहसील गौहरगंज

जिला रायसेन म.प्र. ---- अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता की ओर से माननीय राजस्व निरीक्षक महोदय, राजस्व निरीक्षक मण्डल चिकलौद कला, भोपाल द्वारा सीमांकन प्रकरण 41/राजस्व निरीक्षक/2017 सीमांकन दिनांक 30.11.2017 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2017 से दुखित एवं व्यथित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारो पर निगरानी प्रस्तुत हैः–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भूरा/17/834 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–2–2018	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के अर्न्तगत सीमांकन में पंचनामा नक्शा फील्डबुक सूचना पत्र आदि जारी कर सीमांकन किया गया है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिक परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	